कद अहकाम
(निदन 26)
अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर

सरकार *बनाम* देवकी नंदन वगै0

किस्म– रेफ0धारा 82 मुकदमा नम्बर 2/18 तारीख रजू 23.02.18

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.01.2019	पत्रावली पेशी हुयी। अप्रार्थी संख्या 2,3,4 की और से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एड. द्वारा जवाब रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश किया साथ ही सूचीनुसार 5 किता दस्तावेज पेश किये जिन्हें शामिल मिसल किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 2,3,4 की ओर से जवाब में अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 356 रकबा 0.6400 हैक्टर , खसरा नम्बर 368 रकबा 0.5400 हैक्टर, खसरा नम्बर 369 रकबा 0.5700 हैक्टर, खसरा नम्बर 370 रकबा0.0500 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 1.800 हैक्टर वाके ग्राम कुण्डेरा तहसील सवाई माधोपुर में स्थित आराजी के संबंध में तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा उक्त विवादित जमीन माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी वाके ग्राम कुण्डेरा की खातेदारी होने एवं उक्त विवादित जमीन अप्रार्थीगण को गलत रूप से ट्रान्सफर हो जाने व उनकी खातेदारी में लग जाने के कारण यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया था। उक्त विवादित जमीन के संबंध एक दावा बाबत घोषणा,इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) सवाई माधोपुर में किशन गोपाल बनाम धनराज वगै. मु.नं. 13/2015 चला, जिसका दिनांक 30.10.2018 को वादी का वाद स्वीकार कर न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वारा उक्त विवादित जमीन माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी वाके ग्राम कुण्डेरा के नाम पुनः दर्ज करने की डिक्री पारित की गयी है एवं उक्त डिक्री की पालना में तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा नामान्तर करण संख्या 1223 दिनांक 14.12.18 को डिक्रीनुसार उक्त विवादित जमीन माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी वाके ग्राम कुण्डेरा के नाम नामान्तरकरण तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में अलम कर दिया गया है। अतः उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स एव वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं जवाब के साथ संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि विवादित जमीन के संबंध तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स एवं न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर (मुख्यालय) सवाईमाधापुर में विचाराधीन वाद में विवादित आराजी समान होने एवं उक्त विवादित आराजी के संबंध में सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पारित आदेश एवं डिक्री दिनांक 30.10.18 की पालना में तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक कर विवादित आराजीयात माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी वाके ग्राम कुण्डेरा के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिये जाने के कारण उक्त रेफरेन्स में आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद दकमील दाखिल दफतर हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	